

## कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-शिवपुरी (म0प्र0)

शिवपुरी, दिनांक 10/06/2020


### // निविदा-विज्ञप्ति //

#### जिला शिवपुरी की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था वर्ष 2020-21

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, का पत्र क्रमांक/एफ बी-06/2020/2/पांच भोपाल दिनांक 09 जून 2020 में वर्णित निर्देश एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 तथा संशोधित राजपत्र क्रमांक 176 दिनांक 23.05.2020 में उल्लेखित शर्तों एवं निर्बंधों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लायसेंस निरस्तीकरण से उत्पन्न परिस्थिति एवं पुनर्निष्पादन में लगने वाले समयावधि के कारण शिवपुरी जिले के वर्ष 2019-20 में प्रचलित 33 समूहों (92 देशी मदिरा एवं 22 विदेशी मदिरा) को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत मैनुअल निविदा आमंत्रित कर प्रतिदिन के वार्षिक मूल्य के आधार पर 07 दिवस के लिये कलेक्टर सभाकक्ष, शिवपुरी में दिनांक 12.06.2020 दिन शुक्रवार को समय 03.30 बजे कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने तक निराकरण निम्न सारणी अनुसार किया जावेगा।

1	वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इच्छुक पात्र आवेदकों को निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला आबकारी कार्यालय शिवपुरी से दिनांक 11 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 12 जून, 2020 को अपराह्न 01:00 बजे तक।
2	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा निविदा प्रपत्र आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	जिला आबकारी कार्यालय शिवपुरी से दिनांक 11 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 12 जून, 2020 को अपराह्न 02:30 बजे तक।
3	वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 12 जून, 2020 को अपराह्न 03:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

इच्छुक व्यवसायियों/व्यक्तियों द्वारा मदिरा दुकानों के समूहों का विवरण, मदिरा की खपत, सुरक्षा निधि, आरक्षित मूल्य, इयूटी की दरों, तथा संबंधित नियमों आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी से किसी भी दिन कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) दिनांक 10.06.2020 से प्राप्त की जा सकती है। प्रति मदिरा समूह के निविदा प्रपत्र का मूल्य 10000/- रुपये सायबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाईन चालान से जमा करना होगा। मदिरा दुकानों के संबंध में म0प्र0 राजपत्र असाधारण [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

  
कलेक्टर  
10/06/2020  
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)



## प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल म0प्र0 की ओर विज्ञप्ति यथासंभव दो स्थानीय समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4- अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 7- समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग.....की ओर सूचनार्थ।
- 8- जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क समाचार के रूप प्रकाशन हेतु।
- 9- समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला.....की ओर प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ।
- 10- प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (NIC) जिला शिवपुरी की ओर विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 11- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व..... जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 12- प्रभारी अधिकारी सी.एस.-1बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- 13- प्रभारी अधिकारी विदेशी मदय भाण्डागार, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- 14- समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक/मदय भाण्डागार अधिकारी, जिला शिवपुरी म0प्र0 की ओर अशेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त क्षेत्र स्थित समस्त मदिरा दुकानों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिये संभावित इच्छुक व्यक्तियों से विशेष रूप से संपर्क कर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करें, ताकि शासन के राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि प्राप्त हो सके।
- 15- नाजिर, कलेक्ट्रेट शिवपुरी, की ओर विज्ञप्ति कलेक्टोरेट कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 16- जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में विज्ञप्ति सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।



जिला - शिवपुरी (म0प्र0)